

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद एटा के अन्तर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा 765 के०वी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन (पैकेज-टी०ई० ०८) के निर्माण में प्रभावित 1.2300 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०४ वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव। नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 15.3.18

स्थान:-अलीगढ़।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

